न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 32/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/217

1. गिरधारीराम पुत्र मूलाराम जाति नायक निवासी चक 4 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
2. भागीरथ पुत्र मूलाराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 5, आनंदनगर, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर

–निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत 2 पीजीएम बी, पंचायत समिति अनूपगढ़
2. भंवरलाल पुत्र मूलाराम जाति नायक निवासी चक 5/8ए तहसील अनूपगढ़
3. कुंभाराम पुत्र मूलाराम जाति नायक निवासी 5/8ए तहसील अनूपगढ़

–गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र चुघ, अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
2. श्री रमेश सारस्वत, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 1
3. श्री सुधीर बिश्नोई, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 2–3

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रकरण(प्र.सं. 39/23) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है। निगरानीकर्तागण के द्वारा जरिए अधिवक्ता यह निगरानी ग्राम पंचायत 2 पीजीएम बी के आदेश दिनांक 02.05.2022 जिसके द्वारा पट्टा सं. 28 पुस्तक सं. 46 बहक गैर निगरानीकर्ता सं. 2 भंवरलाल निवासी 5/8ए के पक्ष में जारी किया गया है के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी हैं।
2. पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा निगरानी अनुमति एवं मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखा जाकर निगरानी दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। गैरनिगरानीकर्तागण को तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से निगरानीधीन आदेश पटटा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। गैर निगरानीकर्ता सं. 1 ग्राम पंचायत जरिए ग्रा.वि.अ. जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। ग्राम पंचायत की ओर से संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी। गैर निगरानीकर्ता सं. 2–3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए।
3. उभयपक्ष अधिकवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गयी। वकील निगरानीकर्ता अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्तागण एवं गैर निगरानीकर्तागण के पिता मूलाराम पुत्र मघाराम के नाम से चक 4 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला हाल चक 5/8ए तहसील अनूपगढ़ के पास एक कब्जाशुदा भखण्ड साईज 165गुणा65 वर्गफुट था। भूखण्ड के उत्तर में सड़क, दक्षिण में बंशी, गुलाबराम, पूर्व में उत्तमाराम व पश्चिम में राजेन्द्र है। उक्त भूखण्ड में निगरानीकर्ता के पिता के नाम से इन्द्रा आवास योजना के तहत मकान निर्मित किया हुआ था। मूलाराम की मृत्यु के पश्चात उनके 6 पुत्र थे, उनका बड़ा पुत्र अलग हो गया, मूलाराम द्वारा जीवनकाल में भूखण्ड का बंटवारा कर भूखण्ड को प्रत्येक को 1/6 हिस्सा बंटवारे में दिया तथा एक हिस्सा अपने पास रख लिया। एक पुत्र अविवाहित लापता हो गया जिसकी सिविल मृत्यु हो चुकी हैं। अन्य सभी वारिसान ने प्रत्येक 1/4 हिस्सा उत्तर से दक्षिण की तरफ बांट लिया जिससे सभी का हिस्सा मुख्य सड़क से जुड़ता हैं। लेकिन गैरनिगरानीकर्ता सं. 2 ने उत्तर से दक्षिण की बजाए पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर दिशा की तरफ अपने नाम निगरानीधीन पट्टा गैर निगरानीकर्ता सं. 1 से मिलीभगत कर तैयार करवा लिया। पटटा जारी होने से गिनरानीकर्तागण के भूखण्ड की ओर आने वाला मार्ग बाधित हो गया हैं, पटटा की जानकारी होते

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

ही बिना किसी देरी के निगरानी पेश की गयी हैं। निगरानी अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया। निगरानीधीन पट्टा विधि विरूद्ध हैं। ग्राम पचांयत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पटटा प्राप्त करने हेतु भूखण्ड पर 50 वर्ष से अधिक अवधि का कब्जा होना चाहिए जबकि स्वयं गैरनिगरानीकर्ता ने ग्राम पचांयत के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में स्वयं का कब्जा 20 वर्ष से होना अंकित किया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रिया भूखण्ड के विक्रय के क्रम में निष्पादित की गयी हैं और पट्टा पुराने भवनों के विनियमितिकरण के तहत नियम 157 के तहत जारी कर दिया गया हैं जो कि विधिविरूद्ध हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्तागण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। पट्टा नियमविरूद्ध होने के कारण निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता सं. 1 एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 2–3 ने संयुक्त रूप से बहस करते हुए कथन किया कि निगरानीकर्तागण द्वारा मिथ्या कथन किया जा रहा हैं भूखण्ड के संबंध में कोई बंटवारानामा पिता मूलाराम द्वारा नहीं किया गया था। गैर निगरानीकर्ता द्वारा अपने स्वामित्व के भूखण्ड के पटटा हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुरूप प्रक्रिया अपनाते हुए पटटा जारी किया गया हैं। निगरानीकर्ता गैर निगरानीकर्ता के पटटा से प्रभावित नहीं हैं। पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रकाशिक कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। निगरानीकर्तागण को पटटा के संबंध में पूर्ण जानकारी थी। निगरानी जानबूझकर देरी से पेश की गयी हैं। पट्टा नियमानुसार जारी किया गया हैं। निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। निगरानीकर्तागण एवं गैरनिगरानीकर्तागण एक ही परिवार के सदस्य हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत राज्य सरकार स्वप्रेरणा ये अथवा हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन करने पर पुनरीक्षण किया जा सकता हैं। धारा 97 के तहत निगरानी हेतु कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं हैं परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन नं. 5906/2019 किशनाराम बनाम स्टेट में दिनांक 26.04.2019 को निर्णय पारित करते हुए तीन वर्ष की अवधि को निगरानी हेतु सामान्य मियाद अवधि के रूप में अवधारित किया हैं। हस्तगत प्रकरण में निगरानीधीन पट्टा दिनांक 02.05.2022 का हैं जिसके विरूद्ध दिनांक 07.02.2023 को निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। जो उक्त तीन वर्ष की अवधि के भीतर हैं। अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधि. स्वीकार कर निगरानी अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

6. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 2 पीजीएम बी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। निगरानीधीन पट्टा सं. 28 बुक सं. 46 नियम 157(1) के अधीन 62 गुणा 42 कुल 2604 वर्गफुट का जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टा अभियान में जारी किया गया है। गैर निगरानीकर्ता सं. 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने कब्जाशुदा भूखण्ड 62 गुणा 30 का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट के बिन्दू सं. 3 में अंकित किया गया हैं कि अहाते को बेचने से गांव की खूबसूचरती या नक्शे में फर्क नहीं पडता। बिन्दू सं. 4 में अंकित हैं कि अहाता बेचा जाये तो उचित होगा। रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में भी भूखण्ड का साईज 62 गुणा 30 दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अहाता के संबंध में जारी नोटिस का शीर्षक "आबादी भूमि प्रस्तावित बिक्री हेतु आपत्ति आहनि पत्र" हैं। जिसमें अहाते का साईज 62 गुणा 30 हैं और नोटिस में अंकित हैं कि यदि किसी का उक्त भूमि बेचे जाने में किसी कदर का एतराज हो तो यह अन्दर मियाद एक माह अपने एतराज पेश कर दें। नोटिस पर जारी करने की तिथि अंकित नहीं है। अपने आवेदन पत्र के संबंध में गैरनिगरानीकर्ता भवंरलाल द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अहाते पर अपना 20 वर्षो से कब्जा होना दर्शाया गया है और साईज 62 गुणा 30 वर्गफुट अंकित किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही में भूखण्ड के विक्रय किये जाने अथवा पुराने भवनों के तहत विनियमितिकरण के संबंध में जारी किये जाने के संबंध में स्पष्ट अंकन नहीं हैं।

7. ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता से आवेदन प्राप्त होने पर समस्त प्रक्रिया भूखण्ड को विक्रय करने के संबंध में सम्पादित की गयी हैं लेकिन विधिवत रूप से भूखण्ड का विक्रय/निलाम

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

नहीं कर पट्टा नियम 157 के तहत विनियमितिकरण के तहत गैर निगरानीकर्ता सं. 2 के पक्ष में जारी कर दिया गया हैं। यदि नियम 157 की प्रक्रिया के संदर्भ में ग्राम पंचायत की कार्यवाही को मान लिया जावे तो भी गैर निगरानीकर्ता भंवरलाल द्वारा 62 गुणा 30 वर्गफुट के भूखण्ड पर अपना कब्जा होना और मकान बनाकर रहना अपने आवेदन/शपथ पत्र में अंकित किया गया हैं और इसी साईज का भूखण्ड का पट्टा चाहा गया था। ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में भूखण्ड के विक्रय की अनुशंषा की थी और नक्शा में भूखण्ड का साईज 62 गुणा 30 दर्शाया था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम के नियम 157 के तहत साईज 62 गुणा 42 वर्गफुट का पटटा गैरनिगरानीकर्ता सं. 2 के पक्ष में जारी किया हैं जो कि विधिवत नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर निगरानीधीन पटटा जारी कर दिया है जो कि निरस्त योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत 2 पीजीएम बी के द्वारा जारी निगरानीधीन पटटा पटटा सं. 28 बुक सं. 46 चक 5/8ए बहक भंवरलाल पुत्र मूलाराम दिनांक 02.05.2022 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीविजयनगर एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 2 पीजीएम बी को पालनार्थ प्रेषित की जावे।।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)